

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-01092026-275892
SG-DL-W-01092026-275892

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 06]	दिल्ली, अगस्त 21— अगस्त 27, 2026, बृहस्पतिवार/ श्रावण 30— भाद्र 5, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 183
No. 06]	DELHI, AUGUST 21 — AUGUST 27, 2026, THURSDAY/ SHRAVAN 30— BHADRA 5, 1948	[N.C.T.D. No. 183

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

फा. सं. आरसीएस-X0113/1/2025/आरसीएस/644-652.—दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के उपविधि के खंड 42 के साथ पठित, दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 35 की उपधारा (10) के खंड (गग) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा दिनांक 14.07.2026 को आयोजित अपनी 15वीं बैठक में कार्यसूची मद संख्या 15/04(i) पर विचार करते हुए एनसीसीएसए की अनुशंसाओं के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड में पदेन निदेशकों के रूप में मनोनीत करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	पद का नाम	टिप्पणी
1	अध्यक्ष	बोर्ड के अध्यक्ष	दिल्ली के प्रभारी मंत्री
2	प्रबंध निदेशक डीसीएचएफसी	निदेशक	सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त
3	प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	निदेशक	पदेन
4	सचिव (सहकारिता), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	निदेशक	पदेन
5	पंजीयक, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	निदेशक	पदेन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
पांडुरंग के.पोले, आईएएस, सचिव, (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2026

F. No. RCS-X0113/1/2025/RCS /644-652.—In pursuance of the provisions of Clause (cc) of sub-section (10) of Section 35 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), read with Clause 42 of the Bye-Laws of the Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Ltd., and in accordance with the recommendations of the NCCSA made in its 15th meeting held on 14.07.2026, while considering Agenda Item No. 15/04(i), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby nominates the following persons as ex-officio Directors on the Board of Directors of the Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Ltd:-

Sr. No.	Name	Designation	Remarks
1	Chairman	Chairman of Board	Minister-in-Charge of Delhi
2	Managing Director DCHFC	Director	Appointed by Service Deptt. GNCT of Delhi.
3	Pr. Secretary (Finance), GNCTD	Director	Ex-officio
4	Secretary (Cooperation), GNCTD	Director	Ex-officio
5	Registrar of Cooperative Societies, GNCTD	Director	Ex-officio

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

PANDURANG K. POLE, IAS, Secy. (Cooperation)